

डिक्री मुकदमा इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)
बइजलास - श्री छत्रपाल चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या - 99/2021/राजस्व वाद

उनवान

1. शिवनारायण पि. कन्हैयालाल जाति नाथ नि. सुनेल तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

1. कांतिबाई पत्नि प्रहलाद जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. भूमि अवाप्ति अधिकारी जल संसाधन वृत्त झालावाड
3. शाखा प्रबंधक बैंक आफ बडौदा शाखा सुनेल
4. शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक आफ इंडिया शाखा सुनेल
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल तहसील सुनेल

-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति - वकील वादी - श्री अशोक पाटीदार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरुव हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रुबरु वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में ग्राम सुनेल तहसील सुनेल की जमाबंदी सं. 2073-76 के खाता सं. 1332 के आराजी ख.नं. 2031 रकबा 4.2871 हेक्टर भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवं मौके पर कब्जा काशत अनुसार वंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार सुनेल से प्राप्त हुआ। दावा फाइनल डिक्री कर पक्षकारान के खाते निम्नानुसार पृथक पृथक दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान का बैंक रहन यथावत दर्ज रहेगा।

1. शिवनारायण पि. कन्हैयालाल जाति नाथ नि. सुनेल रहन SBI सुनेल -

खाता सं.	ख.नं.	रकबा	दिशा
1332	2031	2.1436	नक्शानुसार



6

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)



2. कांतिबाई पत्नि प्रहलाद जाति धाकड नि. सुनेल रहन BOB सुनेल

खाता सं.	ख.नं.	रकबा	दिशा
1332	2031/1	2.1435	नवरानुसार

निज _____ मुबलिंग _____ बाबत _____ खर्चा इस मुकदमे के नव सुद बराबर _____ लदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक _____ का अदा करे।
सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.06.24 को जारी की गई।



(छत्रपाल चौधरी)
उपखण्ड न्यायाधीश (सिविल)
जिला न्यायालय (सिविल)
जालगाव, जिल्हा न्यायालय (सिविल)

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्य अर्जी दावा			स्टाम्य अर्जी दावा		
स्टाम्य बकालत नामा			स्टाम्य अर्जी		
स्टाम्य वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		